कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

01नि./लि. को./विविध – 09/2006

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.81 तथा 660 दिनांक 08.02.99 के आलोक में दिनांक 01.04.1981 से 31.12.95 के बीच 25 वर्ष की लगातार सेवा तथा निर्धारित अहर्त्ता (यथा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता) पूरी करने वाले निम्नांकित लिपिक को कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत् द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–3(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित वेतनमान् में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है –

क्र॰ स॰	लिपिक का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि एवं वेतनमान्	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्रदेव पोद्दार से॰नि॰ 31.12.93	31.12.35	24.10.64	24.10.89 1400–2600/–	

2॰ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित कर्मी की मूल सेवा पुस्तिका की पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है तथा द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं। वेतन निर्धारण के पश्चात् स्वीकृत की गई उक्त द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि का प्रस्ताव सेवापुस्त के साथ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा सम्पुष्टि उपरान्त ही आर्थिक लाभ के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

3॰ यह प्रोन्नति पुर्णतः औपबंधिक है। जाँच के क्रम में अथवा प्रशासी विभाग द्वारा सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर इन्हें दी गयी प्रोन्नति रद्द/संशोधित की जा सकती है एवं इस मद में भुगतान की गयी राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी।

4॰ उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12.4.16

(मुकुल कुमार सिन्हा)
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2957 /पटना, दिनांक 12.04.16
01नि./लि. को./विविध – 09/2006

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रशाखा पदाधिकारी, 02/नि॰, एवं सम्बन्धित लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.4.16

संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।